संख्या-29/2015/1485सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015

प्रेषक ,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनु-3 लखनऊःदिनांकः 22 जून , 2015

विषयः- शासनादेश संख्या-27/2015/1214सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015, दिनांक 15 जून, 2015 का संशोधन/शुद्धि पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0-220 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त कार्ययोजना के अनुसार, कार्यक्रमवार/जनपदवार फॉट सहित, **प्रथम किश्त (50 प्रतिशत्)** के रूप में **रू0 110 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र),** की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-27/2015/1214सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015, दिनांक 15 जून, 2015 द्वारा निर्गत की गयी है, जिसके **संलग्नक-1** में कतिपय लिपिकीय/टंकण त्रुटियॉ हो गयी है।

2- अतः उक्त लिपिकीय/टंकण त्रुटि को निवारित किये जाने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश संख्या-27/2015/1214सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015, दिनांक 15 जून, 2015 के **संलग्नक-1** के स्थान पर इस पत्र के साथ संलग्न- **संलग्नक-1** को एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या-27/2015/1214सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015, दिनांक 15 जून, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-29/2015/ 1485(1) सी0डी0 /46-3-15-1000(30)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
8- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
9- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
10- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
13- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-29/2015/ 1485 सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015 दिनांक 22 जून, 2015 का संलग्नक-1

शासनादेश संख्या-27/2015/1214सी0डी0/46-3-15-1000(30)/2015, दिनांक 15 जून, 2015 के संलग्नक-1 के स्थान पर प्रतिस्थापित संलग्नक-1

वर्ष 2015-16 के लिए जिला योजना की सघन गन्ना विकास योजना हेतु अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0/आयोजनागत) हेतु निर्धारित भैतिक लक्ष्य, लाभार्थियों की संख्या एवं देय अनुदान की धनराशि सहित अनुमोदित कार्ययोजना।

क्र0 सं0	कार्यक्रम	इकाई		लाभार्थियों की संख्या (अनुमानित)	देय अनुदान की धनराशि (लाख रू0में)
1	पौधशाला स्थापन				
	क-आधार पौधशाला	लाख कु0	0.267	534	13.355
	ख-प्राथमिक पौधशाला	लाख कु0	1.07	2140	26.775
2	बीज/भूमि उपचार	लाख हे0	0.150	30000	75.037
3	पेड़ी प्रबन्धन	लाख हे0	0.150	30000	22.545
4	बीज यातायात				
	क-अभिजनक बीज का यातायात	लाख कु0	0.011	44	0.161
	ख-आधार बीज का यातायात	लाख कु0	0.214	428	1.50
5	जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग	लाख हे0	0.134	26800	80.627
	योगः-				**220.00**

(रुपया दो करोड़ बीस लाख मात्र)

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।